



भारत का डिजिटल भवष्य: डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023

यह एडिटरियल 09/10/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "How the Digital India Act will shape the future of the country's cyber landscape" लेख पर आधारित है। इसमें प्रस्तावित 'डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023' के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें ऐसे आवश्यक खंड शामिल हैं जो लगातार बदलते डिजिटल परदृश्य के साथ संरेखित हैं और जनिका लक्ष्य संबद्ध विधि चुनौतियों से नपिटना और अवसरों का लाभ उठाना है।

प्रलमिस के लयि:

[डिजिटल इंडिया अधिनियम \(DIA\)](#), [डिजिटल वयकतगित डेटा संरक्षण वधियक](#), [नेशनल डेटा गवरनेंस पॉलिसी](#), [डिजिटल इंडिया लक्ष्य](#), [डिजिटल इंडिया](#), [डिजिटल मीडिया एथकिस कोड](#), [आर्टफिशियल इंटेलजेंस](#), [डीपफेक](#)।

मेन्स के लयि:

[डिजिटल इंडिया अधिनियम](#), [DIA के उद्देश्य एवं घटक](#), [DIA की आवश्यकता](#), [चुनौतियाँ और आगे की राह](#)।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा '[डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023](#)' का प्रस्ताव कयि गया है जो देश के बढ़ते डिजिटल पारस्थितिकी तंत्र के लयि एक भवष्योन्मुखी कानूनी ढाँचा स्थापति करने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतनिधित्व करता है।

यह प्रस्ताव एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर कयि गया है जब भारत का डिजिटल रूपांतरण तेज़ गतिसे आगे बढ़ रहा है [इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय \(MeitY\)](#) का यह सक्रयि कदम भारत की महत्वाकांक्षी '[डिजिटल इंडिया](#)' पहल के अनुरूप है।

डिजिटल इंडिया अधिनियम (Digital India Act- DIA), 2023:

■ उद्देश्य:

- ऐसे वकिस-योग्य नयिम तैयार करना जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बदलते रुझानों के अनुरूप हों और देश के डिजिटल अवसंरचना की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन कयि जा सकें।
- ऑनलाइन सविलि और आपराधिक कृत्यों के लयि आसानी से सुलभ न्यायिक तंत्र की पेशकश करना।
- नागरिकों को समय पर उपचार प्रदान करना, साइबर वविादों को हल करना और इंटरनेट पर वधिका शासन लागू करना।
- अनुपालन सुनश्चिति करने के लयि व्यापक शासकीय सदिधांतों को ध्यान में रखते हुए एक वधियाी ढाँचा प्रदान करना।

■ प्रमुख घटक:

- **ओपन इंटरनेट:** भारत सरकार के अनुसार ओपन इंटरनेट (Open Internet) में वकिल्प, प्रतसिपर्द्धा, ऑनलाइन वविधिता, नषिपक्ष बाजार पहुँच, कारोबारी सुगमता के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स के लयि अनुपालन की आसानी शामिल होनी चाहयि। ये वशिषताएँ शक्ति के संकेंद्रण और नयितरण (गेटकीपगि) पर रोक लगाती हैं।
- **ऑनलाइन सुरक्षा और वशिवास:** नवीन अधिनियम इंटरनेट के साथ-साथ डार्क वेब पर उपयोगकर्ताओं को रविज पोर्न, मानहानि और साइबरबुलडिग जैसे [साइबर खतरों](#) से बचाने पर ध्यान केंद्रति करेगा।
 - यह **भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten)** एवं **डिजिटल वरिसत के अधिकार (Right to Digital Inheritance)** जैसे डिजिटल अधिकारों को आगे बढ़ाने, अल्पवयस्कों एवं उनके डेटा को एडिक्टिवि टेक्नोलॉजी से बचाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को नयितरति करने पर लक्षति है।
- **जवाबदेह इंटरनेट:** नवीन अधिनियम का उद्देश्य शकियतों के नविरण के लयि कानूनी तंत्र का नरिमाण करने, साइबर स्पेस में संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने, एल्गोरथिम संबंधी पारदर्शति एवं आवधकि जोखमि का मूल्यांकन करने और मध्यस्थों द्वारा एकत्र कयि गए डेटा के लयि प्रकटीकरण मानदंडों को स्थापति करने के रूप में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और गतविधियों को अधकि जवाबदेह बनाना है।

■ मुख्य वशिषताएँ:

- DIA दो दशक पुराने [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 \(IT Act\)](#) को प्रतस्थापति करेगा, जो अब इंटरनेट और उभरती प्रौद्योगिकियों के गतशील वकिस द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों एवं अवसरों को पर्याप्त रूप से संबोधति नहीं कर पाता है।
- DIA का ढाँचा ऑनलाइन सुरक्षा, वशिवास एवं जवाबदेही, खुला इंटरनेट सुनश्चिति करने और कृत्रमि बुद्धमित्ता एवं ब्लॉकचेन जैसी नए जमाने की प्रौद्योगिकियों को वनियमति करने जैसे प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रति करेगा।

- DIA [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम \(Digital Personal Data Protection Act\)](#), [डिजिटल इंडिया अधिनियम नयिमावली \(Digital India Act Rules\)](#), [राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति \(National Data Governance Policy\)](#) और [साइबर अपराधों](#) के लिये भारतीय दंड संहिता में किये गए संशोधन सहित अन्य संबंधित कानूनों एवं नीतियों के साथ मलिकर कार्य करेगा।
- DIA ['सेफ हारबर' \(safe harbor\)](#) सिद्धांत की समीक्षा करेगा, जो X और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिये जवाबदेही से बचाता है।
- DIA खुदरा बिक्री में उपयोग किये जाने वाले पहनने योग्य उपकरणों के लिये कठोर **KYC (Know Your Customer)** को अनिवार्य बनाता है, साथ ही संबंधित आपराधिक कानून प्रतर्बिधों और दंडों के प्रावधान करता है।
- DIA 'वर्ष 2026 के लिये [डिजिटल इंडिया लक्ष्य](#)' के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और वैश्विक प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देना है।

डिजिटल इंडिया अधिनियम की आवश्यकता:

- **पुराने पड़ चुके वनियमन:** वर्ष 2000 का मौजूदा IT अधिनियम उस युग में तैयार किया गया था जब इंटरनेट के केवल 5.5 मिलियन उपयोगकर्ता थे और यह इंटरनेट की वर्तमान स्थिति का प्रबंधन कर सकने के लिये अपर्याप्त है।
 - वर्तमान में 850 मिलियन उपयोगकर्ताओं, विभिन्न मध्यस्थों और 'साइबरस्टॉकिंग' (cyberstalking) एवं 'डॉक्सिंग' (doxing) जैसे खतरों के नए रूपों की स्थिति में IT अधिनियम इन जटिलताओं को संबोधित करने में वफिल रहता है।
- **वर्तमान वनियमों की अपर्याप्तता: मध्यस्थ दिशानिर्देश (Intermediary Guidelines), डिजिटल मीडिया आचार संहिता (Digital Media Ethics Code) और डेटा सुरक्षा नयिमावली** जैसे नयिमावली तत्वों के अस्तित्व के बावजूद, नए युग की प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने के मामले में वे अपर्याप्त हैं।
- **वधिक अनुकूलन की आवश्यकता:** ब्लॉकचेन और IoT जैसी तकनीकी उन्नतियों के साथ, उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक कानूनी ढाँचा विकसित होना चाहिये। इसमें साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना, डेटा सुरक्षा और उभरते तकनीकी क्षेत्रों को वनियमित करना शामिल है।

ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कंटेंट को संबोधित करना: [ई-कॉमर्स](#), डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन कंटेंट शेयरिंग की प्रगति के साथ अद्यतन नयिमावली की आवश्यकता है। डिजिटल इंडिया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेगा।

वैश्विक संरेखण और सर्वोत्तम अभ्यास: वैश्विक डिजिटल परदृश्य में प्रभावी ढंग से शामिल होने के लिये भारत के वनियमनों को भी अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं अभ्यासों के अनुरूप होना चाहिये।

DIA, 2023 के कार्यान्वयन के राह की चुनौतियाँ

- **बोझिल अनुपालन आवश्यकताएँ:** इस अधिनियम के वनियमन व्यवसायों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) पर उल्लेखनीय बोझ डाल सकते हैं।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिये ['सेफ हारबर'](#) सिद्धांत की समीक्षा संभावित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। यह सुनिश्चित करना एक नाजुक कार्य होगा कि अधिनियम इस मूल अधिकार पर अंकुश न लगाए।
- **संसाधन और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएँ:** DIA के प्रभावी प्रवर्तन के लिये पर्याप्त संसाधनों, विशेषज्ञता और अवसंरचना की आवश्यकता होगी। इन क्षेत्रों में निवेश महत्वपूर्ण होगा।
- **हतिधारक हति:** तकनीकी दिग्गजों और नागरिकों के अधिकारों सहित विभिन्न हतिधारकों के हतियों को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कार्यान्वयन प्रक्रिया में सभी हतिधारकों की बातें सुनी जाएँ और उन पर विचार किया जाए।
- **नगिरानी और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** आलोचकों का तर्क है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान सरकार को अत्यधिक नगिरानी शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से गोपनीयता अधिकारों से समझौता हो सकता है। सतता के दुरुपयोग और गोपनीयता के उल्लंघन से बचाने के लिये मज़बूत सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिये।
- **डेटा स्थानीयकरण और सीमा-पार डेटा प्रवाह:** डेटा स्थानीयकरण पर अधिनियम का दृष्टिकोण विवाद का विषय है। जबकि स्थानीयकरण डेटा संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ा सकता है, यह सीमा पार डेटा प्रवाह को बाधित भी कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यवसायों पर असर पड़ सकता है जो कुशल डेटा स्थानांतरण पर निर्भर होते हैं।

DIA, 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये आगे की राह:

- **हतिधारक संलग्नता:** सरकारी निकायों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज सहित सभी प्रासंगिक हतिधारकों को मसौदा तैयार करने एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिये। इससे एक संतुलित और व्यापक कानूनी ढाँचा बनाने में मदद मिलेगी।
- **वनियमन और नवाचार को संतुलित करना:** सख्त नियम (विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में) अनजाने में उद्यमशील पहलों को बाधित कर सकते हैं और वदिशी निवेश को अवरुद्ध कर सकते हैं। वनियमन और नवाचार के बीच सही संतुलन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।
- **सहयोग और क्षमता निर्माण:** DIA को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायापालिका और नयिमावली निकायों के क्षमता निर्माण में निवेश किया जाना चाहिये।
 - डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों और मानकों के साथ DIA को संरेखित करने के लिये अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग का निर्माण किया जाए।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** [डिजिटल साक्षरता](#) की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, डिजिटल क्षेत्र में नागरिकों को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों

के बारे में शक्ति करने के लिये सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये।

नष्कषः

डजिटल इंडिया अधनियम, 2023 का प्रभाव इस बात पर नरिभर करेगा कइसे कतिनी कुशलता से अभ्यास में लाया जाएगा। यह सुनश्चिति कया जाना चाहिये कइसका पालन करना बहुत कठनि नहीं हो, नागरकिों की गोपनीयता का सम्मान कया जाए और नए वचिरों एवं वयवसायों को प्रोत्साहति कया जाए। यदइन चतिओं को वचिरपूर्वक संबोधति कया जाता है तो इस अधनियम में एक ऐसे डजिटल परदृश्य को आकार देने की क्षमता है जो न केवल वयक्तियों एवं वयवसायों को बल्कि पूरे देश को लाभ पहुँचाएगा।

अभ्यास प्रश्नः डजिटल इंडिया अधनियम, 2023 भारत के लिये एक सुरक्षति, जवाबदेह और अभनिव डजिटल भवषिय सुनश्चिति करने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

प्रश्न. भारत के संवधिन के कसि अनुच्छेद के तहत 'नजिता का अधिकार' संरक्षति है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन और वयक्तगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरकि भाग के रूप में संरक्षति कया गया है। भारत के संवधिन में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा उपर्युक्त वाक्य को सही एवं उचति रूप से लागू करता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संवधिन के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीति के नदिशक सदिधांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संवधिन के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलकि अधिकारों के दायरे की जाँच कीजिये। (2017)